



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०१० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. एडी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/कांकेर/लौ०अ०-०६/रायपुर

30 छ०ग० ०८००७

दिनांक :— १२/१२/२०१९

प्रति,

श्री श्रवण कुमार गोयल, निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर,
सर्वश्री बजरंग पॉवर एवं इस्पात लिमिटेड,
ग्राम:- बोरझरा, उरला-गुमा रोड,
उरला ग्रोथ सेंटर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-४९३ २२१
फोन: ०७७१-४२८८०१९ / २९ / ३९, ई मेल:- info.bjr@golgroup.co.in

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी हहालल्दी लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल ७५.
०० हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक ११/११/२०१८ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री एस०
के० आचार्य, ऐजेंट (खान) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि
आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 45(7)	<p>Annual Return for the Financial Year 2018-19 and Monthly Returns for the month of April 2019 to October 2019 have been scrutinized</p> <p>Annual return for F.Y. 2017-18:</p> <p>Part I: Name of the Mining Engineer may be mentioned as Shri Bhojram Banjare instead of Shri Debendra Nath Mohanta.</p> <p>Part VII: Cost of Production: Cost of ore/mineral Processing (Dry Crushing and Screening of ROM) for segregation of ore/mineral into different sizes and grades may be added in the Cost of Production under the Beneficiation column.</p> <p>Monthly Returns for April 2019 to October 2019:</p> <p>(ii) Cost of ore/mineral Processing (Dry Crushing and Screening of ROM) for segregation of ore/mineral into different sizes and grades may be added in the Cost of Production.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ४५(७) के अंतर्गत
- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर-४४०००१
- उप महानिदेशक (सांचिकी), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर-४४०००१

कृ०प००५०..२.

3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर